

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §
बृहस्पतिवार, 09 दिसम्बर, 1999/मार्गशीर्ष 18, 1921 §शक§

संख्या : 58

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, मध्य-जिला, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 7.12.99 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको सतम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोएब इक़बाल को दिनांक 6.12.1999 को अपराहन 2.40 बजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अंतर्गत पुलिस के विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण तुरन्तमान गेट दिल्ली पर नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 6.12.1999 को अपराहन 2.50 बजे, वहीं से रिहा कर दिया गया ।"

एस.के. शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-I

(General information relating to Legislative & other matters)
Thursday, December 09, 1999/Marghshish 18, 1921 (Saka)

No.58

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from DCP, Central District, Delhi on 7.12.99:

" I have the honour to inform you that Shri Shoaib Iqbal, Hon'ble Member of Delhi Legislative Assembly was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of the Police at Turkman Gate, Delhi on 06-12-99 at 2.40 PM.

He was released at 2.50 P.M. from the same place on the same day i.e. 06-12-99."

S.K. SHARMA
SECRETARY